




तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.09/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए
13.3.2023 d	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जगदीश सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- मालीवास, भावरी रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 05.1.2022 को दौराने गश्त फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी जगदीश सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1682 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./88/Act/2022/178 दिनांक 01.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.2.2023 को प्रतिवादी जगदीश सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि वह छोटा व्यापारी है। उसने घी (त्यौहार ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीद किया था एवं जिस स्थिति में खरीद किया हुआ उसी स्थिति में विक्रय किया है, उसने घी में कोई मिलावट नहीं की है। खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) का बिल कही गुम हो गया है। वह खाद्य पदार्थ घी से मिठाई आदि खाद्य सामग्री बनाकर बेचता है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नहीं करुंगा। यह मेरा प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 05.1.2022 को दौराने गश्त समय 01.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी जगदीश सिंह</p> <p>.....लगातार</p>	




d  
जिला मजिस्ट्रेट  
सिरोही-307001.




<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.09/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>पुत्र श्री ओम सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- मालीवास, भावरी रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) से मिष्ठान आदि खाद्य सामग्री बनाकर आम जनता को बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, जोधपुर व उसके गोदाम के निरीक्षण के दौरान आम जनता के मिष्ठान इत्यादि खाद्य सामग्री बनाने में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश सिंह को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने फर्म के दुकान के गोदाम के फर्श पर मौजूद घी (त्यौहार ब्राण्ड) के 15 किलोग्राम के पैकड कंटेनर को खोलकर उसमें से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 272/- (अक्षरे रुपये दो सौ बहत्तर मात्र) विक्रेता जगदीश सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1682, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनेद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा घी (त्यौहार ब्राण्ड) को बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद कर प्रत्येक शीशी पर एक-एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1682 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात्</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p> <p style="text-align: center;">    </p>	

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.09/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए</p>
	<p>तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करके समये काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 06.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 05.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता जगदीश सिंह से खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी ( त्यौहार ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1682 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./88/Act/2022/178 दिनांक 01.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1682 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में, यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश सिंह ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश सिंह पुत्र श्री ओमसिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- मालीवास, भावरी रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>.....लगातार</p>	



प्रति, जिला मजिस्ट्रेट  
सिरोही-307001

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.09/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल मे जारी हुए
	<p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (त्यौहार ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी जगदीश सिंह पुत्र श्री ओम सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- मालीवास, भावरी रोड, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सुभाष सर्कल, सरुपगंज, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी जगदीश सिंह को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.4.2023 को पेश हो।</p> <p>(के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही</p>	